

दैनिक समाचार पाठक

अप्रैल 24, 2023

सामान्य अध्ययन II

- किशोर न्याय
- केशवानंद भारती मामले के 50 साल

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु रिपोर्ट
- पीएसएलवी (PSLV)
- रैनसमवेयर
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस



5000+
students



200
Mains selection



600
Prelims selection



Pioneer
of online teaching

*“Experience the magic
of Personal Mentor-led learning”*

सामान्य अध्ययन II


किशोर न्याय

विषय- राजनीति और शासन

स्रोत- द हिंदू

खबरों में क्यों

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग/ National Commission for Protection of Children (NCPCR) ने हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम/ Juvenile Justice Act, 2015 (JJ अधिनियम, 2015) की धारा 15 के तहत किशोर न्याय बोर्ड/ Juvenile Justice Board (JJB) द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।



किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (JJ अधिनियम, 2015) के बारे में:

- इसे पिछले किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त और प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम जघन्य अपराधों के मामलों में 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों पर बालिग के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
- अधिनियम में गोद लेने के प्रावधान शामिल हैं, पिछले गोद लेने के कानूनों को बदलने के लिए अनार्यों, आत्मसमर्पण करने वाले और परित्यक्त बच्चों के लिए अधिक सुलभ गोद लेने की प्रक्रिया बनाने के लिए।
- केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण/ Central Adoption Resource Authority (CARA)** को गोद लेने से संबंधित मामलों के लिए वैधानिक निकाय के रूप में नामित किया गया है।
- अधिनियम में यह अनिवार्य है कि सभी बाल देखभाल संस्थान, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा, अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर पंजीकृत होने चाहिए।
- NCPCR JJ अधिनियम, 2015 की धारा 109 के तहत अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक वैधानिक दायित्व के तहत है।

बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को JJ अधिनियम के तहत किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?

- बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
 - छोटा अपराध
 - गंभीर अपराध
 - जघन्य अपराध
- जघन्य अपराधों के मामलों में, जहां एक बच्चे पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपराध किया है और उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है, यह निर्धारित करने के लिए एक प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या बच्चे पर एक बालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। (JJ अधिनियम की धारा 15)
- यदि बोर्ड धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद एक आदेश पारित करता है कि उक्त बच्चे के बालिग के रूप में मुकदमा की आवश्यकता है, तो किशोर न्याय बोर्ड (JJB) मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है, जिसके पास ऐसे अपराधों की प्रयास करने का अधिकार क्षेत्र है। (धारा 18(3))

JJB की क्या जिम्मेदारियां हैं?

- किशोर न्याय बोर्ड को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा पेश किया गया था।
- इसमें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक दण्ड-न्यायालय की शक्तियां हैं।
- बोर्ड में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री शामिल हैं जो यह आकलन करते हैं कि 16-18 वर्ष की आयु के अपराधियों पर बालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं।
- सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा की जाती है।
- राज्य सरकार बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- सदस्यों की कार्यकाल अवधि 3 वर्ष है और उन्हें अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
- प्रधान मजिस्ट्रेट/दण्डाधिकारी के वेतन और भत्ते राज्य सरकार के अधीन होते हैं।

किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में:

- यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था।
- बच्चों के खिलाफ अपराध जिसके परिणामस्वरूप 3 से 7 साल की कैद होती है, उसे अब "असंज्ञेय" माना जाएगा।
- असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है और अदालत के प्राधिकरण के बिना जांच शुरू नहीं कर सकता है।
- अधिनियम ने बच्चों के संरक्षण और गोद लेने के प्रावधानों को मजबूत किया है।
- गोद लेने की मंजूरी देने का अधिकार जिलाधिकारी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) के बारे में:

- यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ Commission for Protection of Child Rights (CPCR) अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- उद्देश्य:** देश में बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की रक्षा करना।
- आयोग को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण/ Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) अधिनियम, 2012 के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने का भी अधिकार है; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार/ Right to Free and Compulsory Education (RTE) अधिनियम, 2009।
- इसे बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।
- इसके पास CPCR अधिनियम, 2005 की धारा 14 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक मुकदमे की सुनवाई करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं।
- संरचना:** आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं। सदस्यों में कम से कम दो महिला सदस्य होनी चाहिए। NCPCR के अध्यक्ष का चयन तीन सदस्यीय चयन समिति की सलाह पर होता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है? (10 अंक)

संदर्भित करने के लिए संबंधित स्थिर विषय:

JJ अधिनियम, NCPCR

केशवानंद भारती मामले के 50 साल

विषय- राजनीति और शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

खबरों में क्यों

पचास साल पहले, 24 अप्रैल, 1973 को, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती श्रीपदागलवरु और Ors(अन्य) बनाम केरल राज्य और Anr(मामले में शामिल अन्य पक्ष) मामले में अपना फैसला सुनाया था, यह एक ऐतिहासिक मामला था जिसने संसद और संविधान के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित किया था।



केशवानंद भारती मामले के बारे में:

- केशवानंद भारती का मामला संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में है।
- गोलकनाथ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन संसद ने खुद को वह शक्ति देने के लिए संविधान में संशोधन किया।
- केशवानंद के मामले में, अदालत ने कहा कि संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसमें मौलिक अधिकार और "मूल संरचना" शामिल हैं।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि भूमि सीलिंग कानूनों से प्रभावित संपत्ति के अधिकार को इसमें संशोधन करके वापस नहीं लिया जा सकता है।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि संशोधन संविधान के "मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं करेगा।

किस कारण मूल संरचना की अवधारणा का विकास हुआ?

- शंकर प्रसाद मामला, 1951:** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की शक्ति है।
- गोलकनाथ मामला, 1967:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के रुख को उलट दिया और फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार पारलौकिक और अपरिवर्तनीय हैं और संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा इन्हें संक्षिप्तीकरण या दूर नहीं किया जा सकता है।
- 24वाँ संशोधन 1971:** संसद ने 1971 में 24वाँ संशोधन अधिनियम बनाकर इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने घोषणा की कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को संक्षिप्तीकरण करने या हटाने की शक्ति है।
- केशवानंद भारती मामला, 1973:** सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा लेकिन संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को भी निर्धारित किया। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संवैधानिक शक्ति इसे संविधान की मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं बनाती है।
- इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975):** सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पहली बार केशवानंद फैसले में निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया। इसने संविधान (उनतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 को रद्द कर दिया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की चुनौती पर सुनवाई करने से रोक दिया।
- मिनर्वा लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है और संसद संविधान को रद्द करने या निरस्त करने या इसकी बुनियादी

विशेषताओं को नष्ट करने के लिए पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती है।

- वामन राव मामला 1981:** केशवानंद भारती मामले में फैसले की तारीख 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू किए गए संवैधानिक संशोधनों पर मूल संरचना का सिद्धांत लागू होगा।

मूल संरचना का सिद्धांत क्या है?

- 24 अप्रैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान की 'मूल संरचना' या 'मूल विशेषताएं' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
- अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के 'मूल संरचना' को प्रभावित किए बिना।
- मौलिक अधिकार को संक्षिप्त करने या समाप्त करने के लिए संसद के अधिकार पर यह एकमात्र सीमा है।

मूल संरचना क्या है या किससे गठित होती है?

- विभिन्न निर्णयों से, निम्नलिखित संविधान की 'मूल विशेषताओं' या संविधान के 'मूल संरचना' के तत्वों/घटकों/अवयवों के रूप में उभरे हैं:
 - संविधान की सर्वोच्चता
 - भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति
 - संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप
 - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
 - संविधान का संघीय स्वरूप
 - राष्ट्र की एकता और अखंडता
 - कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)
 - न्यायिक समीक्षा
 - व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
 - संसदीय प्रणाली
 - विधि का शासन
 - मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन
 - समानता का सिद्धांत
 - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
 - न्यायपालिका की स्वतंत्रता
 - संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति
 - न्याय तक प्रभावी पहुंच
 - मूल अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत (या सार)।
 - अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ
 - अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय को अभी यह परिभाषित या स्पष्ट करना है कि संविधान की 'मूल संरचना' क्या है या किससे गठित होती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

भारतीय संविधान में 'मूल संरचना' की अवधारणा और संविधान के मौलिक सिद्धांतों के संरक्षण में इसके महत्व पर चर्चा करें। ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के माध्यम से सिद्धांत के विकास और भारत के संवैधानिक ढांचे पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें।

संदर्भित करने के लिए संबंधित स्थिर विषय:

मूल संरचना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, मौलिक अधिकार

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

संयुक्त राष्ट्र जलवायु रिपोर्ट

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

खबरों में क्यों

संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन/ World Meteorological Organization (WMO) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-2022 के बीच के वर्ष, रिकॉर्ड अनुसार सबसे गर्म थे।



संयुक्त राष्ट्र जलवायु रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- 2015-2022 के बीच के वर्ष रिकॉर्ड अनुसार सबसे गर्म थे, और पिछले आठ वर्षों को रिकॉर्ड अनुसार उच्चतम औसत तापमान माना गया था।
- पिछली गर्मियों में यूरोप में आई ग्रीष्म लहर ने 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी।
- ला नीना शीतलन मौसम की घटना तापमान वृद्धि को कम करने में विफल रही।
- 2021 में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता चरम पर थी।
- वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) सांद्रता 415.7 भाग प्रति मिलियन थी, जो कि पूर्व-औद्योगिक स्तर का 149% है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- महासागर रिकॉर्ड अनुसार सबसे गर्म थे, और समुद्र की 58% सतहों ने समुद्री ग्रीष्म लहर का अनुभव किया।
- पिछले एक दशक में वैश्विक समुद्र का स्तर 4.62 मिलीमीटर के वार्षिक औसत से बढ़ा है और दुनिया के हिमनद/ग्लेशियर आकस्मिक गति से पिघले हैं।
- ग्लेशियरों को बचाना अब प्रभावी रूप से एक नामुनकीन बात था, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए जोखिम पैदा कर रहा था।

स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के बारे में:

- यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का एक वार्षिक प्रकाशन है जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर नवीनतम निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।
- रिपोर्ट पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए, मौसम और जलवायु स्टेशनों, महासागर बोया और उपग्रहों के साथ-साथ मॉडलिंग अध्ययनों के वैश्विक नेटवर्क से अवलोकन को जोड़ती है।
- पृथ्वी दिवस 2023 से पहले जारी की गई सबसे हालिया रिपोर्ट में कई खतरनाक प्रवृत्तियों का खुलासा किया गया है जो जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के बारे में:

- यह 192 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों के साथ एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- भारत WMO के सदस्यों में से एक है।
- WMO की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन/ International Meteorological Organization (IMO) से हुई है, जिसका गठन 1873 वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद हुआ था।
- WMO की स्थापना 23 मार्च, 1950 को WMO सम्मेलन के अनुसमर्थन द्वारा की गई थी, और मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष

एजेंसी बन गई।

- WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

पीएसएलवी (PSLV)

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

खबरों में क्यों

हाल ही में, PSLV ने अपने 57वें मिशन में सिंगापुर के दो उपग्रहों को उनकी लक्षित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया।



उपग्रहों को प्रक्षेपण यान की आवश्यकता क्यों है?

- पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को काबू करने और अंतरिक्ष में ले जाने के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपण यान (लॉन्च वाहनों) की आवश्यकता होती है।
- लॉन्च वाहनों में शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली होती है जो भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करती है।
- उपग्रह या पेलोड को रॉकेट के अंदर ले जाया जाता है और एक बार जब वे अंतरिक्ष में अपनी लक्षित कक्षा के पास पहुँच जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है।
- अधिकांश उपग्रहों में छोटे प्रणोदन प्रणाली होते हैं और कम मात्रा में ईंधन ले जाते हैं।
- वे उस वैज्ञानिक कार्य के लिए आवश्यक उपकरण ले जाते हैं जिसके लिए उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में उन्हें बहुत कम खिंचाव या प्रभाव का सामना करना पड़ता है।

PSLV क्या है?

- PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) है।
- यह 1994 में अपने पहले लॉन्च के बाद से ISRO (Indian Space Research Organization/ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे विश्वसनीय रॉकेट है।
- इसका उपयोग न केवल भारतीय उपग्रहों के लिए बल्कि अन्य देशों के उपग्रहों को ले जाने के लिए भी किया जाता है, जिससे यह एक बहुमुखी प्रक्षेपण यान बन जाता है।
- PSLV कई अन्य देशों के लॉन्च वाहनों की तुलना में अधिक किफायती भी है।
- PSLV ने कई भारतीय और विदेशी ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिससे यह भारत का एक बहुमुखी और विश्वसनीय वर्कहॉर्स/कार्योपयोगी लॉन्च वाहन बन गया है।
- इसने 2008 में चंद्रयान -1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने बाद में क्रमशः चंद्रमा और मंगल की यात्रा की।
- PSLV ने पृथ्वी की निचली कक्षाओं में विभिन्न उपग्रहों को लगातार पहुंचाने के लिए 'ISRO का वर्कहॉर्स' का खिताब अर्जित किया है।

PSLV के घटक कौन-कौन से हैं?

- PSLV में चार भाग होते हैं: PS1, PS2, PS3 और PS4।

- PS1 एक ठोस रॉकेट मोटर है जिसमें 6 ठोस स्ट्रैप-ऑन बूस्टर हैं।
- PS2 एक संग्रहणीय तरल रॉकेट इंजन है जिसे विकास इंजन के रूप में जाना जाता है।
- PS3 एक ठोस रॉकेट मोटर है जो लॉन्च के ऊपरी चरणों में उच्च प्रणोद प्रदान करता है।
- PS4 सबसे ऊपर का चरण है जिसमें दो पृथ्वी-भंडारण योग्य तरल इंजन शामिल हैं।
- PSLV के PS4 को पुनः प्रयोज्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- जैसे ही रॉकेट के विभिन्न भाग जलते हैं, वे अलग हो जाते हैं और या तो अंतरिक्ष का मलबा बन जाते हैं या वायुमंडल में जल जाते हैं।

PSLV का सबसे हालिया मिशन कौन सा था?

- PSLV ने **TeLEOS-2** लॉन्च किया, जो सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं का समर्थन करेगा।
- **Lumelite-4** को सह-यात्री उपग्रह के रूप में भी लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सिंगापुर की ई-नेविगेशन समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और वैश्विक शिपिंग (जलयान) समुदाय को लाभ पहुंचाना था।
- **POEM-2 (PSLV Orbital Experimental Module/ PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल)** को गैर-पृथक पेलोड के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए एक कक्षीय मंच के रूप में भी लॉन्च किया गया था जो ISRO / अंतरिक्ष विभाग, बेलाटिक्स, ध्रुव अंतरिक्ष और भारतीय ताराभौतिकी संस्थान के अंतर्गत आता है।

POEM के बारे में:

- POEM (PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल) ISRO का एक प्रायोगिक मिशन है जो PSLV लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण के दौरान कक्षीय मंच के रूप में वैज्ञानिक प्रयोग करता है।
- PS4, PSLV का अंतिम चरण आमतौर पर अंतरिक्ष कचरा के रूप में समाप्त होता है, लेकिन PSLV-C53 मिशन में, इसे प्रयोगों के लिए "स्थिर मंच" के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- यह पहली बार है जब PS4 चरण एक स्थिर मंच के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
- POEM में अनुमत सीमाओं के भीतर किसी भी एयरोस्पेस (अंतरिक्ष) वाहन के अनुस्थापन को नियंत्रित करने और इसे निर्दिष्ट सटीकता के साथ स्थिर करने के लिए रवैया स्थिरीकरण के लिए एक नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल (NGC) प्रणाली है।
- POEM में छह पेलोड हैं, जिनमें से दो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप, दिगंतरा और ध्रुव अंतरिक्ष से हैं, जो इन-स्पेस (IN-SPACE) और NSIL के माध्यम से सक्षम हैं।
- POEM PS4 टैंक और ली-आयन (Li-Ion) बैटरी के चारों ओर लगे सौर पैनलों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और यह चार सूर्य सेंसर, एक मैग्नेटोमीटर (चुंबकत्वमापी), जाइरोस (गूर्णिका) और NavIC का उपयोग करके संचालन करता है।
- POEM में समर्पित नियंत्रण प्रणोदक भी हैं जो हीलियम गैस भंडारण का उपयोग करते हैं और एक दूरसंचार सुविधा के साथ सक्षम हैं।

रैनसमवेयर

स्रोत- द हिंदू

खबरों में क्यों

हाल ही में, रिपोर्टें सामने आईं कि लॉकबिट (LockBit) रैनसमवेयर को मैक (Mac) उपकरणों को निशाना बनाते हुए पाया गया।



रैनसमवेयर क्या है ?

- रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच को तब तक ब्लॉक करता है जब तक कि फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है।
- साइबर अपराधी डेटा को अनब्लॉक करने के बदले पैसे की मांग करते हैं।
- हाल के साइबर हमले, जैसे कि AIIMS पर हुए हमले में क्रिप्टोकॉर्रेसी में फिरौती की मांग शामिल है।
- रैनसमवेयर के उदाहरणों में वानाक्राई (2017), पेट्या/नॉटपेट्या (2017) और गैंडक्रैब (2018) शामिल हैं।

रैनसमवेयर कैसे काम करता है?

पीड़ित के कंप्यूटर या नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण लिंक, ईमेल अटैचमेंट या सॉफ्टवेयर डाउनलोड के माध्यम से रैनसमवेयर स्थापित किया जाता है।

↓

रैनसमवेयर फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और उन तक पहुंच को अवरुद्ध करता है, जिससे वे अनुपयोगी हो जाते हैं।

↓

पीड़ित को रैनसमवेयर हमले के बारे में सूचित किया जाता है, आमतौर पर एक पॉप-अप विंडो या संदेश के साथ, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनकी फाइलें एन्क्रिप्ट की गई हैं और डिक्रिप्शन कुंजी के बदले में भुगतान की मांग की जा रही है।

↓

पीड़ित को फिरौती का भुगतान करने की समय सीमा दी जाती है, आमतौर पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकॉर्रेसी में, और अनुपालन न करने पर डेटा के स्थायी नुकसान की धमकी दी जाती है।

↓

यदि पीड़ित फिरौती का भुगतान करता है, तो साइबर अपराधी एक डिक्रिप्शन कुंजी भेजता है जो पीड़ित को अपनी फाइलों तक पहुंच पुनः प्राप्त करने की अनुमति देगा।

↓

यदि पीड़ित फिरौती का भुगतान नहीं करता है, तो साइबर अपराधी एन्क्रिप्ट की गई फाइलों को हटा सकता है या जनता को संवेदनशील डेटा जारी करने की धमकी दे सकता है।

हम सिस्टम को रैनसमवेयर से कैसे बचा सकते हैं?

1. पासवर्ड और बहु-कारक प्रमाणीकरण:

- विशेष वर्णों और भिन्नताओं वाले मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें
- कूर फोर्स के हमलों को रोकने के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण लागू करें

2. कर्मचारी प्रशिक्षण और जागरूकता:

- फिशिंग हमलों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करें
- सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए पुराने या अप्रयुक्त उपयोगकर्ता खातों

को निष्क्रिय और बंद करें

2. साइबर सुरक्षा की जानकारी और समझ:

- साइबर सुरक्षा खतरों की समझ है
- हमलों को रोकने के लिए साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले संवेदनशील बिंदुओं की पहचान करें

साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलें क्या हैं?

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:

- साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन (2004)** का उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों को सुसंगत बनाकर इंटरनेट और साइबर क्राइम को संबोधित करना है। भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- भारत:**
- नीतियाँ:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020।
- योजनाएं:** साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम बनाने के लिए साइबर सुरक्षित भारत योजना (2018); साइबर स्वच्छता केंद्र (मुफ्त बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण उपकरण प्रदान करता है)।
- संस्थान:** भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) (गृह मंत्रालय के तहत 2018 में स्थापित); राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र/ National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC); राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र/ National Cyber Coordination Centre (NCCC) (CERT-In के तहत)।

लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी।

- बलवंत राय मेहता समिति** ने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की एक योजना की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई।
- राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था।
- 1993 में, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारत के सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। (73वां संविधान संशोधन अधिनियम)

पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है?

- पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सहायक रही है।
- ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण:** इसने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक आवाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया है, जिससे उनके संबंधित क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।
- सत्ता का विकेंद्रीकरण:** प्रणाली ने सत्ता का विकेंद्रीकरण और सरकार के उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद की है, क्योंकि निर्णय स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं।
- सामाजिक-आर्थिक विकास:** इसने सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:** समाज के सभी वर्गों के बीच संसाधनों का निष्पक्ष और समान रूप से वितरण सुनिश्चित करके यह प्रणाली सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सफल रही है।
- महिला सशक्तिकरण:** इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है, जिससे महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का कार्यान्वयन हुआ है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

खबरों में क्यों

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में हर साल 24 अप्रैल को उस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।



पंचायती राज व्यवस्था क्या है?

- पंचायती राज व्यवस्था भारत में शासन की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है, जहाँ स्थानीय निकायों या ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों के विकास के लिए स्वयं शासन करने और निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है।
- इस प्रणाली को 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाना था।

पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या है?

- पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें प्राचीन भारत में हैं, जहाँ ग्राम परिषद या पंचायत शासन की प्राथमिक इकाई थी।
- 1950 के दशक की शुरुआत में इस प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया था जब पहली राष्ट्रीय विकास परिषद ने जमीनी स्तर पर शासन की एक

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 का विषय:

- 'सतत पंचायत: स्वस्थ, पर्याप्त जल, स्वच्छ और हरित गांवों का निर्माण'।
- इस वर्ष की विषय का प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ पानी की उपलब्धता, अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने और स्वच्छ और हरित वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- विषय का उद्देश्य स्वस्थ और पानी की पर्याप्तता वाले गांवों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, जो स्वच्छ और हरे हों।
- सतत प्रथाओं को अपनाने से, पंचायतें पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।

दैनिक करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी:

1. पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. PRI को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था।
2. 1959 में नागौर, राजस्थान में पहली पंचायती राज संस्थान की स्थापना पर 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

2. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए कानून द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की आवश्यकता है?

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. सामाजिक निकाय

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- a. केवल 1
- b. केवल 1 और 2
- c. केवल 3
- d. 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित पर विचार करें:

1. विधि शासन
2. मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन
3. न्यायिक समीक्षा
4. मौलिक कर्तव्य

उपरोक्त में से कौन सा भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' का गठन करता है?

- a. केवल 1, 2 और 4
- b. केवल 1 और 2
- c. केवल 1, 2 और 3
- d. केवल 2 और 4

4. विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
2. स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट WMO द्वारा प्रकाशित की जाती है।
3. भारत WMO का सदस्य नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 1 और 2
- c. केवल 3
- d. 1, 2 और 3

5. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कानून की परिभाषा (अनुच्छेद 13) के अंतर्गत आता है/हैं?

1. संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून।
2. प्रत्यायोजित विधान।
3. राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- a. केवल 1
- b. 1 और 2 केवल
- c. केवल 3
- d. 1, 2 और 3

6. भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PSLVs का उपयोग पृथ्वी संसाधन निगरानी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, जबकि GSLVs को मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. PSLV द्वारा छोड़े गए उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान से देखे जाने पर उसी स्थिति में स्थिर प्रतीत होते हैं।
3. GSLV Mk III एक चार-चरण वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. 2 और 3 केवल
- c. 1 और 2 केवल
- d. केवल 3

7. हाल ही में समाचारों में उल्लिखित लॉकबिट शब्द किससे संबंधित है?

- a. एक्सोप्लैनेट्स
- b. क्रिप्टोक्यूरेंसी
- c. साइबर हमले
- d. लघु उपग्रह

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. PSLV (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) का प्राथमिक उद्देश्य "पृथ्वी अवलोकन" या "रिमोट सेंसिंग" उपग्रहों को लॉन्च करना है।
2. GSLV (भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान) का प्राथमिक उद्देश्य संचार उपग्रहों को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में लॉन्च करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

9. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में सबसे पहले संविधान के 'मूल ढांचे' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि संविधान की 'मूल संरचना' क्या है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2